



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1942 (श०)

(सं० पटना ५०३) पटना, सोमवार, २४ अगस्त २०२०

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

२४ अगस्त २०२०

एस०ओ० १५८ दिनांक २४ अगस्त २०२०—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का बिहार अधिनियम १२) की धारा—९६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १७३ दिनांक २१ सितम्बर, २०१७, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या ८७७ दिनांक २१ सितम्बर, २०१७ द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८३ दिनांक २७ जनवरी, २०२०, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या ६४ दिनांक २७ जनवरी, २०२० द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर ”(ii) श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, राज्य कर अपर आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना’ शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जी०एस०टी०/विविध—२१/२०१७ (खंड—९)—१४७१)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

२४ अगस्त २०२०

एस०ओ० १५८ दिनांक २४ अगस्त २०२० का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जी०एस०टी०/विविध—२१/२०१७ (खंड—९)—१४७१)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 24th August 2020

S.O. 158 dated the 24th August 2020—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 83, dated the 27th January, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 64, dated the 27th January, 2020, namely:-

In the said notification, for serial no. (ii), the words "(ii) Shri Sujay Prakash Upadhyay, Additional Commissioner of State Tax, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna " shall be substituted.

[File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-9)--1471)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 503-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>